



UPSR040028212026

न्यायालय सिविल जज (प्र०ख०)त्वरित न्यायालय/अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (प्रद्युम्न कुमार मिश्रा) - उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP03289

क्रिमिनल मिस/290/2026

अविनाश चहन्द्र श्रीवास्तव बनाम. शिवांग श्रीवास्तव उर्फ शिवा।

थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 23.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पुकार पर प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्रक पर प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देने का कथन किया गया है। इसलिए वह अपना दाण्डिक वाद स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव के वापस लेना चाहता है। अतः प्रार्थना की गयी है कि मुकदमा समाप्त किया जाए।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर बल नहीं देने का कथन किया गया है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि वाद के संचालन में प्रार्थी की कोई रुचि नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 173(4) बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(प्रद्युम्न कुमार मिश्रा)

सिविल जज (प्र०ख०)त्वरित न्यायालय/

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

श्रावस्ती